UPMT010013582026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा

उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–607/2026

दीपक सैनी बनाम उ.प्र.राज्य

आदेश

1. मुकदमा अपराध संख्या– 11/2026 धारा 64(1), 123, 127(2०, 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना–वृन्दावन, जिला– मथुरा के अभियुक्त **दीपक सैनी** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि करिश्मा शर्मा पुत्री जगदीश पत्नी गौरव शर्मा निवासी केशीघाट वृंदावन जिला मथुरा की निवासी है। करीब एक वर्ष पूर्व उसका परिचय दीपक सैनी पुत्र बबलू सैनी निवासी पानीगांव राजपुर थाना वृंदावन जिला मथुरा से हुआ था। शादी का झाँसा देकर लगभग ग्यारह माह पूर्व दीपक सैनी ने उसे एक गेस्ट हाउस में बुलाया तथा चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया तथा इस दौरान उसने उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तथा बाद में उसके साथ अलग–अलग गेस्ट हाउस ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया तथा विभिन्न तारीखों में ब्लैकमेल करके उससे लगभग 1,30,000 रुपये तथा दो मोबाइल ले लिए। दिनांक 29.11.25 को देवेन्द्र निषाद पुत्र कमलो निषाद निवासी केशीघाट वृंदावन, नरेश बघेल पुत्र श्याम सुन्दर निवासी पानीगांव, पवन पुत्र नामालूम निवासी मथुरा तथा 2–3 अज्ञात व्यक्ति दीपक सैनी के साथ उसके घर आये और इन्होंने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी, गाली–गलौज की तथा उसे धमकाते हुए कहा कि तुझे दीपक सैनी के साथ नहीं रहना है, हम उसकी दूसरी शादी कराएंगे, अगर तुम दुबारा दीपक के पास आई तो तेरे साथ दुष्कर्म करेंगे तथा तुझे और तेरे पति को जान से मार देंगे। उसी दिन 29.11.25 को रात्रि करीब 9 बजे दीपक सैनी व उसके दोस्त मोक्षधाम के पास परिक्रमा मार्ग पर मिले और उसे डरा–धमका कर जबरदस्ती गाड़ियों में अपने साथ ले जाकर अपने दोस्त खेमू पुत्र नामालूम निवासी मथुरा के घर पर रखा, जहाँ दीपक सैनी, देवेन्द्र निषाद, नरेश बघेल, पवन उपरोक्त ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और वह किसी तरह भागकर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकल आयी। श्रीमान जी, उपरोक्त समस्त घटना का संज्ञान में लेते हुए आरोपीयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए उसे न्याय दिलाने की कृपा करें।
3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त केस में निर्दोष है तथा उपरोक्त मुकदमें की वादिया श्रीमती करिश्मा, जो कि दो बच्चों की माँ है, इलाका पुलिस से मिलकर एक षड्यन्त्र के तहत एक फर्जी व मनगढंत कहानी बनाकर उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त दीपक सैनी को झूठा व निर्दोष फंसाया है। उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी अदालत में न तो लगाया है, न खारिज हुआ है, न विचाराधीन है। उपरोक्त मुकदमे में वादिया/पीड़िता, अभियुक्त दीपक सैनी के आस–पास

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.25 10:11:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वृन्दावन क्षेत्र में ही रहती है। अभियुक्त के पिता की वृन्दावन स्थित भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित कर मुआवजा दिया गया था, जिस पर वादिया श्रीमती करिश्मा व उसके पति गौरव की नजर थी। पूर्व में पड़ोस का वास्ता देकर उन्होंने लगभग 1,00,000/– रुपये उधार लिये थे। वादिया श्रीमती करिश्मा ने अभियुक्त दीपक सैनी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका मानसिक व शारीरिक शोषण किया। अभियुक्त अविवाहित था, जबकि वादिया विवाहित एवं दो बच्चों की माँ थी। वादिया द्वारा अभियुक्त को नशे आदि की दवाएँ देकर सम्बन्ध बनाए जाते थे तथा उसकी शादी नहीं होने देना चाहती थी। कुछ समय बाद अभियुक्त दीपक सैनी ने अपने पिता को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद अभियुक्त के पिता ने उसका विवाह दिनांक 04.12.2025 को कुसुम उर्फ भावना निवासी राधाकुण्ड, गोवर्धन, मथुरा से कर दिया। विवाह के बाद भी वादिया द्वारा सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया गया, किन्तु अभियुक्त के मना करने पर वादिया ने साजिश के तहत झूठी व मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस से मिलकर मुकदमे में चालान करा दिया। उक्त मुकदमे की वादिया श्रीमती करिश्मा एक तेज–तर्राज, शातिर दिमाग महिला है, अपने शौक पूरा करने के लिये अभियुक्त से धीरे–धीरे रूपया भी ऐंठती रही, अपने शौक पूरा करती रही और उसका शारीरिक व मानसिक शोषण कर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करती रही। मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में न तो घटना का दिनांक है, न समय अंकित है और न ही स्पष्ट घटनास्थल अंकित है, जिससे घटना साफ झूठी व मनगढंत दिखायी देती है। उपरोक्त मुकदमें में घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त दीपक सैनी दिनांक 05.01.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही सजायाफ्ता है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर आरोप है कि अभियुक्त ने मुकदमा वादिनी से विवाह का झांसा देकर उसके साथ नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया तथा विभिन्न अवसरों पर उससे धन एवं मोबाइल लिए। साथ ही अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धमकी देने एवं पुनः दुष्कर्म के प्रयास का आरोप भी लगाया गया है।

7. बचाव पक्ष का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है, वादिनी विवाहित एवं बाल–बच्चेदार है, दोनों के बीच पूर्व में परिचय एवं निकटता थी, तथा आर्थिक लेन–देन एवं व्यक्तिगत विवाद के कारण झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह भी कहा गया कि प्राथमिकी में विलम्ब है, घटनाओं का समय, दिनांक एवं स्थान स्पष्ट नहीं है, कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 05.01.2025 से निरुद्ध है।

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह दर्शित है कि कि वादिया और अभियुक्त एक–दूसरे को लगभग एक वर्ष से भली–भांति जानते थे। वादिया एक विवाहित महिला और दो बच्चों की माता है, जो सामाजिक एवं विधिक रूप से परिपक्व है। प्रथम दृष्टया, लंबे समय तक (लगभग 11 माह) विभिन्न स्थानों और गेस्ट हाउसों में मेल–मिलाप की निरंतरता से यह दर्शित होता है कि संबंधों की प्रकृति पर विचारण (Trial) के दौरान विस्तृत साक्ष्य की आवश्यकता है कि क्या यह 'शादी के झांसे' का मामला है या 'आपसी सहमति' का। पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत

धारा 183 बी.एन.एस.एस. में उससे प्रश्न किये जाने कि "आपको पता था कि आप शादीशुदा हैं, दीपक से विवाह नहीं कर सकती" के उत्तर में कथन किया कि "मुझे यह बात पता थी मैं उस समय बहक गयी थी।" प्रथम दृष्टया यह इंगित करता है कि अभियुक्त और पीड़िता के मध्य संबंध आपसी समझ और सहमति पर आधारित थे। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विवाह (दिनांक 04.12.2025) के तत्काल बाद प्राथमिकी का दर्ज होना, प्रतिरक्षा पक्ष के इस तर्क को बल देता है कि मामला प्रतिशोध या द्वेषभावना से प्रेरित हो सकता है। जहाँ तक आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का प्रश्न है, उस संबंध में कोई वीडियो/साक्ष्य अभियोजन द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 05.01.2026 से निरंतर जेल में निरुद्ध है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास अथवा किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **दीपक सैनी** द्वारा मुवलिग 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख–आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ–आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़–आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

9. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–24.03.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191